

एल. एन. वेंकटेशन

बनाम

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

4 अप्रैल, 1997

[के. रामास्वामी तथा जी. बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

*भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 : धारा 11-क — परन्तुक तथा स्पष्टीकरण।*

*भूमि अर्जन — पंचाट — वह अवधि जिसके भीतर पंचाट पारित किया जाना अपेक्षित है — अवधि की गणना तथा अर्जन कार्यवाही — धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना 11.6.1975 को प्रकाशित — धारा 6 के अधीन घोषणा 3 मार्च, 1978 को प्रकाशित — भूमिधर द्वारा रिट याचिका दायर की गई — न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगनादेश प्रदान किया गया — परिणामस्वरूप भू-अर्जन पदाधिकारी भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं कर सका — धारा 11-क के अधीन दो वर्ष के भीतर पंचाट पारित नहीं किया गया — अभिनिर्धारित, इन परिस्थितियों में धारा 6 के अधीन घोषणा व्यपगत नहीं हुई और परिणामस्वरूप धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना भी व्यपगत नहीं होती।*

*यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. (1991) एस सी 2153, पर अवलम्बन किया गया।*

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्याएँ 5613-14 सन् 1997।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 3450/1988 तथा डब्ल्यू.एम.पी. सं. 5231/1988 में दिनांक 19.7.1996 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

याचिकाकर्ता की ओर से के.बी.एस. राजन।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया :

ये विशेष अनुमति याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा डब्ल्यू.एम.पी. सं. 5231/88 में दिनांक 19 जुलाई, 1996 को दिए गए निर्णय से उद्भूत हुई हैं। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना 11.6.1975 को प्रकाशित की गई थी। धारा 6 के अधीन घोषणा 3 मार्च, 1978 को प्रकाशित की गई थी। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका सं. 7645/86 दायर की और बेदखली पर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया। चूँकि धारा 11-क के अधीन दो वर्ष के भीतर पंचाट पारित नहीं किया गया था, इसलिए उसने एक अन्य रिट याचिका अर्थात् रिट याचिका सं. 3450/88 दायर की। उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया कि परन्तुक में निहित निषेध याचिकाकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती रिट याचिका में प्राप्त स्थगनादेश के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। अतः अर्जन कार्यवाही व्यपगत नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अंतरिम स्थगनादेश केवल याचिकाकर्ता को बेदखल न करने के लिए दिया गया था और पंचाट पारित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में प्राधिकारियों के समक्ष कोई बाधा नहीं थी। हम इस तर्क में कोई बल नहीं पाते।

अधिनियम की धारा 11-क, जो निम्नवत् है :

11-क. वह अवधि जिसके भीतर पंचाट किया जाएगा।— समाहर्ता धारा 11 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पंचाट करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पंचाट नहीं किया जाता है, तो भूमि के अर्जन के लिए की गई संपूर्ण कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि ऐसे मामले में, जिसमें उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रकाशित की गई हो, पंचाट ऐसे प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण।— इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना करने में, वह अवधि अपवर्जित की जाएगी जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने

वाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर न्यायालय के किसी आदेश द्वारा स्थगन लगा रहा हो।

इस न्यायालय द्वारा *यूसुफभाई नूरमोहम्मद नेन्दोलिया बनाम गुजरात राज्य*, ए.आई.आर. (1991) एस सी 2153 में प्रतिपादित सिद्धान्त यह है कि भूमि का स्वामी अथवा भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 11-क का लाभ उठाना चाहता है, उसने भू-अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। उक्त निर्णय का सुसंगत अंश, जो अनुच्छेद 8 में निहित है, निम्नवत् है :

"उक्त स्पष्टीकरण अत्यन्त व्यापक शब्दों में है और हमारे मत में स्पष्टीकरण में उल्लिखित कार्रवाई या कार्यवाही को केवल उन कार्रवाइयों अथवा कार्यवाहियों तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं है, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन पंचाट किए जाने से पूर्व की जाती हैं। प्रथम, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं अभिनिर्धारित किया है, जहाँ मामला धारा 17 के अधीन आता है, वहाँ पंचाट किए जाने से पूर्व ही कब्जा लिया जा सकता है और हमें कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता कि स्पष्टीकरण में प्रयुक्त उपर्युक्त अभिव्यक्ति को इस आधार पर भिन्न अर्थ दिया जाए कि मामला धारा 17 के अधीन है अथवा नहीं। दूसरी ओर, हमें प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण का उद्देश्य ऐसे भूस्वामी को लाभ प्रदान करना है, जिसकी भूमि धारा 6 के अधीन घोषणा किए जाने के पश्चात् अर्जित की जाती है और जिसका मामला स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है। वह लाभ यह है कि पंचाट घोषणा की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा अर्जन कार्यवाही व्यपगत हो जाएगी और भूमि पुनः भूस्वामी को वापस चली जाएगी। उक्त उपबंध का लाभ प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित है कि जो भूस्वामी उसका लाभ चाहता है, उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली किसी कार्रवाई अथवा कार्यवाही को प्रतिबंधित करने वाला कोई आदेश किसी न्यायालय से

प्राप्त न किया हो। फलतः स्पष्टीकरण केवल उन भूस्वामियों के मामलों को आच्छादित करता है, जिन्होंने न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं किया है, जो पंचाट किए जाने अथवा अर्जित भूमि का कब्जा लिए जाने में विलम्ब उत्पन्न करे या उसे रोक दे। हमारे मत में, गुजरात उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाकर सही निष्कर्ष निकाला है।"

यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोट्टीवक्कम ग्राम, सैदापेट तालुक के सर्वेक्षण सं. 232/1सी में सम्मिलित शेष 6 एकड़ भूमि के संबंध में विचाराधीन अर्जन कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए रिट याचिका सं. 10351/1982 दायर की थी तथा एक अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया था, जिसने भू-अर्जन पदाधिकारी को, यद्यपि वह संबंधित सर्वेक्षण संख्या के केवल एक भाग से संबंधित था, कार्यवाही को आगे बढ़ाने तथा तो और पंचाट पारित करने से भी विरत कर दिया था। उक्त रिट याचिका दिनांक 8.1.1988 को स्वीकार कर ली गई। उपर्युक्त सर्वेक्षण संख्या में सम्मिलित 6 एकड़ भूमि की सीमा तक अर्जन कार्यवाही निरस्त कर दी गई। रिट याचिका सं. 10351/1982 के लंबित रहने के दौरान ही याचिकाकर्ता ने एक अन्य रिट याचिका, अर्थात् रिट याचिका सं. 7645/1986 भी दायर की तथा उसमें अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया। रिट याचिका सं. 7645/1986 शेष 4.33 एकड़ भूमि से संबंधित थी और उस रिट याचिका की सुनवाई इस रिट याचिका के साथ की गई है। तथापि, हम उस रिट याचिका में पृथक आदेश पारित कर रहे हैं। रिट याचिका सं. 7645/1986 में प्राप्त अंतरिम आदेश, जिसके कारण भू-अर्जन पदाधिकारी विचाराधीन भूमि का कब्जा प्राप्त करने में असमर्थ हो गया था, अभी भी प्रवृत्त है। अतः वर्ष 1982 से लेकर आज तक उपर्युक्त रिट याचिकाओं में से किसी न किसी में भू-अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध एक अंतरिम आदेश प्रवृत्त रहा है, जिसने उसे भूमि का कब्जा लेने से विरत रखा है।

इन परिस्थितियों में, धारा 6 के अधीन घोषणा व्यपगत नहीं होती है और परिणामस्वरूप धारा 4(1) के अधीन अधिसूचना भी व्यपगत नहीं होती है।

तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

टी.एन.ए.

याचिकाएँ निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

सन्नी प्रसाद